बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि निदेशालय एवं
सम्बद्ध कार्यालय के पदाधिकारियों
का
दायित्व एवं कर्त्तव्य

प्रकाशक :
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

आमुख

कृषि निदेशालय के अधीन मुख्यालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में विभिन्न कोटि के पद विभिन्न पदनामों से स्वीकृत है। इन पदों की स्वीकृति के समय इनके कर्त्तव्य एवं कृत्य परिभाषित किये गये थे। कालान्तर में पदों का सपरिवर्त्तन किया गया तथा कई पदों का पदनाम परिवर्त्तित हुआ। कई पदों की कार्य प्रकृति में भी बदलाव हुआ। वर्त्तमान परिपेक्ष्य में किये जा रहे कार्यों के आलोक में मुख्यालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के बीच वितरित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी के आलोक में मुख्यालय स्तर एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं कृत्यों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कर्त्तव्य एवं कृत्यों से भली-भाँति परिचित हो सकें। इन सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुस्तक में उपलब्ध सूचनाओं से निदेशालय के कार्यों को समन्वित करने में सुविधा प्राप्त होगी।

आशा है सभी पदाधिकारी इससे लाभान्वित होंगे।

(डा० बी० राजेन्दर)
कृषि निदेशक, बिहार

अनुक्रमणिका

क्र०	विवरणी	पृ० सं०
1.	कृषि निदेशक	4
2.	निदेशक, प्रशासन	4
3.	उप कृषि निदेशक (प्रशासन)	4
4.	संयुक्त कृषि निदेशक (मुख्यालय)	4
5.	संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)	5
6.	संयुक्त कृषि निदेशक (योजना)	5
7.	संयुक्त कृषि निदेशक (शिक्षा)	5
8.	संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)	6
9.	उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)	6
10.	उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)	6
11.	उप कृषि निदेशक (बीज)	6
12.	उप कृषि निदेशक (फसल)	7
13.	कृषि सूचना	7
14.	उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)	8
15.	सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी)	8
16.	प्रसार परियोजना	8–9
17.	उपयोगी अनुसंधान	9–10
18.	पौधा संरक्षण	10
19.	कृषि अभियंत्रण	10–11
20.	माप-तौल संभाग	11
21.	कृषि शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना	11
22.	गुण नियंत्रण प्रयोगशाला	12
23.	कम्पोस्ट खाद योजना	12
24.	बीज विश्लेषण प्रयोगशाला	13
25.	केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला	13–14
26.	बीज निरीक्षण कार्यक्रम	14
27.	दियारा विकास परियोजना	14

1. कृषि निदेशक, बिहार, पटना

1. कृषि निदेशालय के अधीन राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अवस्थित सभी कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण।
2. कृषि निदेशालय द्वारा संचालित कृषि विकास की योजनओं का प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण।
3. कृषि निदेशालय के अधीन कार्यान्वित की जानेवाली सभी योजनाओं का वित्तीय नियंत्रण।
4. कृषि विकास की सभी योजनाओं के अनुश्रवण प्राधिकार।
5. कृषि विभाग के तकनीकी परामर्शी।
6. कृषि अधीनस्थ सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारियों के नियुक्ति एवं नियंत्री पदाधिकारी।
7. राज्य स्तर पर बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी की अनुज्ञप्ति प्रदान करना।
8. कृषि निदेशक का पद विभागाध्यक्ष का पद है एवं विभागाध्यक्ष की विहित शक्तियाँ कृषि निदेशक में निहित हैं।

2. निदेशक, प्रशासन

1. कृषि निदेशालय के सभी प्रशासनिक कार्यों में कृषि निदेशक को सहयोग देना।
2. निदेशालय के स्थापना संबंधी कार्यों में कृषि निदेशक को सहयोग देना।
3. अराजपत्रित स्थापना संबंधी कार्य।
4. निदेशालय के स्थापना संबंधी कार्य।
5. गोपनीय मामलों से संबंधित कार्य।
6. विधि संबंधी कार्य।
7. विधान मंडलीय कार्य।
8. कृषि निदेशक द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

3. उप कृषि निदेशक (प्रशासन)

1. कृषि निदेशालय के प्रशासनिक कार्यों में निदेशक, प्रशासन को सहयोग देना।
2. स्थापना संबंधी कार्यों में निदेशक, प्रशासन को सहयोग देना।
3. अराजपत्रित स्थापना संबंधी कार्य।
4. निदेशालय के स्थापना संबंधी कार्य।
5. गोपनीय मामलों से सम्बन्धित कार्य।
6. विधि संबंधी कार्य।
7. विधान मंडलीय कार्य।
8. कृषि निदेशक/निदेशक, प्रशासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

4. संयुक्त कृषि निदेशक (मुख्यालय)

1. क्षेत्रीय कार्यालयों के किराया निर्धारण संबंधी कार्य।
2. माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों से संबंधित कार्य।
3. लोक सभा, विधान सभा प्रश्नों से संबंधित कार्य।
4. कृषि निदेशक द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

5. संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)

1. कृषि उपादान की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन करना।
2. उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी संबंधी अधिनियमों एवं नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में कृषि निदेशक को सहयोग देना।
3. कृषि उपादानों संबंधी सभी विधान मंडलीय/अंकेक्षण/न्यायिक मामले/सूचना के अधिकार इत्यादि कार्यों के निष्पादन में कृषि निदेशक को सहयोग देना।
4. संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षक घोषित है। अत: किसी उर्वरक बीज एवं कीटनाशी बिक्री केन्द्र पर छापेमारी कार्य सम्पादित करना एवं प्रतिवेदन कृषि निदेशक को समर्पित करना।

6. संयुक्त कृषि निदेशक (योजना)

1. कृषि निदेशालय सम्भाग की योजनाओं का सूत्रण अनुश्रवण एवं समन्वय।
2. कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण पर मंतव्य देना।
3. क्षेत्रीय कार्यालयों से लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदनों का संकलन कराना।
4. योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पी०पी०एम० सेल एवं भारत सरकार के विभिन्न निदेशालयों को भेजे जानेवाले प्रतिवेदन को तैयार कराना।
5. राशि के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना।
6. भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करना।
7. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विधानमंडलीय प्रश्नों / सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्राप्त पत्रों का निष्पादन।
8. निदेशालय स्तर / सचिवालय स्तर के बैठकों में भाग लेना।

7. संयुक्त कृषि निदेशक (शिक्षा)

1. एक वर्षीय एवं दो वर्षीय प्रसार प्रशिक्षण कोर्स में जनसेवकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं का प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी में नामांकन संबंधित कार्य।
2. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के परीक्षा, परीक्षाफल से संबंधित मर्यादन समिति के बैठक में भाग लेना।
3. कृषि स्नातकों के तीन माह के ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण संबंधित कार्य का सम्पादन।
4. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी (मुजफ्फरपुर) एवं उप कृषि निदेशक (शिक्षा) के कार्यों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण।
5. जनसेवकों एवं कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं के रिफ्रेशर कोर्स में (21 दिवसीय) नामांकन संबंधित कार्य।
6. इसके अलावे अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधित कार्य सम्पादन।

8. संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

1. कृषि संबंधी सभी प्रकार के आंकड़ों का संकलन करना।
2. फसल आच्छादन/वर्षापात आदि के आंकड़ों का संकलन करना।
3. संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करना।
4. मौसम एवं फसल स्थिति प्रतिवेदन संकलित कर भारत सरकार को भेजना।
5. फसल क्षति के आंकड़ों का संकलन करना।
6. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए एजेंडावार रिपोर्ट प्राप्त करना एवं उत्तर तैयार कर भारत सरकार को भेजना।

9. उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)

1. क्षेत्रीय कार्यालय भवनों से संबंधित किराया निर्धारण एवं अन्य कार्य।
2. सचिवालय स्तर से प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वादों का प्रतिशपथ पत्र दायर करना।
3. लोक सभा/राज्य सभा से संबंधित प्रश्नों का निष्पादन करना।
4. कृषि निदेशक द्वारा दिये गये कार्यों का निष्पादन।

10. उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)

1. राजकीय प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी।
2. प्रजनक बीज का भारत सरकार से आवंटन प्राप्त करना एवं उठाव सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न प्रक्षेत्रों पर प्रजनक बीज का आवंटन करना।
4. तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम का अनुश्रवण करना।
5. बीज ग्राम योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
6. विभागीय साप्ताहिक अनुश्रवण बैठक की कार्यवाही तैयार करना।
7. कृषि निदेशक द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

11. उप कृषि निदेशक (बीज)

1. केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों, यथा– मैक्रोमोड, आइसोपोम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं कृषि रोड मैप इत्यादि में प्रमाणित बीज की आवश्यकता एवं श्रोतवार बीज की उपलब्धता एवं उसका मूल्यांकन।
2. केन्द्र प्रायोजित "आइसोपोम" एवं "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" अर्न्तगत मिनीकीट बीज उपलब्धता एवं जिलावार वितरण तथा उसका मूल्यांकन।
3. विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित नवीनतम प्रभेदों का विगत वर्ष एवं उपयोग के क्षेत्र के साथ, मौसमवार, फसलवार, प्रभेदवार सूची का संधारण।

12. उप कृषि निदेशक (फसल)

1. प्रशाखा-10 से सम्पादित होने वाले फसल संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्य, फसल क्षति का मुआवजा, कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवंटन, खरीफ एवं रब्बी से संबंधित वार्षिक कार्य योजना की तैयारी।
2. विधान मंडलीय एवं लोक सभा तथा राज्य सभा से संबंधित प्रश्नों, याचिका, निवेदन, ध्यानाकर्षण, आश्वासन, अल्पसूचित, तारांकित, अतारांकित प्रश्नों का कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।
3. उपादान अनुदान कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी। आपदा प्रबंधन विभाग के सहाय्य मद में प्राप्त राशि का फसल क्षति के आधार पर बाढ़ प्रभावित जिलों के बीच राशि का उप आवंटन प्रस्ताव तैयार करना।
4. उर्वरक एवं बीज निरीक्षण (सम्पूर्ण बिहार)।
5. कृषि निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

13. कृषि सूचना

1. कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी हेतु प्रचार कार्य।
2. किसान मेला/गोष्ठी/प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।
3. राज्य स्तरीय अद्यतन तकनीकी आलेख तैयार करना, मुद्रित करना।
4. तकनीकी आलेखों को क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना, कृषकों के बीच वितरित कराना।
5. आकाशवाणी/दूरदर्शन तथा अन्य दृश्य/श्रव्य माध्यमों से संपर्क कर किसानोपयोगी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (सूचना)

1. कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी हेतु प्रचार कार्य।
2. राज्य स्तरीय किसान मेला/गोष्ठी/प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।
3. अद्यतन तकनीकी आलेख तैयार करना, मुद्रित करना।
4. तकनीकी आलेखों को कृषकों के बीच वितरित करना।
5. आकाशवाणी/दूरदर्शन तथा अन्य दृश्य/श्रव्य माध्यमों से संपर्क कर किसानोपयोगी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
6. कार्यालय प्रधान के सभी दायित्व।

सहायक कृषि निदेशक (सूचना)

उप कृषि निदेशक (सूचना) को हर पहलू पर आवश्यक सहयोग एवं सूचना पदाधिकारी, प्रदर्शनी पदाधिकारी, कृषि सम्पादक, औडो विजुअल एड्स पदाधिकारी, प्रेस अधीक्षक एवं कार्यालय अधीक्षक पर नियंत्रण एवं सम्पादित होने वाले कार्यक्रमों के कार्यों में वांछित सहयोग।

14. उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

1. कृषि संबंधी सभी प्रकार के आंकड़ों का संकलन करना।
2. फसल आच्छादन/वर्षापात आदि के आंकड़ों का संकलन करना।
3. संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करना।
4. मौसम एवं फसल स्थिति प्रतिवेदन संकलित कर भारत सरकार को भेजना।
5. फसल क्षति के आंकड़ों का संकलन करना।
6. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए एजेंडावार रिपोर्ट प्राप्त करना एवं उत्तर तैयार कर भारत सरकार को भेजना।
7. कृषि निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

15. सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

1. कृषि संबंधी सभी प्रकार के आंकड़ों का संकलन करना।
2. फसल आच्छादन/वर्षापात आदि के आंकड़ों का संकलन करना।
3. संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करना।
4. मौसम एवं फसल स्थिति प्रतिवेदन संकलित कर भारत सरकार को भेजना।
5. फसल क्षति के आंकड़ों का संकलन करना।
6. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए एजेंडावार प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं उत्तर तैयार कर भारत सरकार को भेजना।

16. प्रसार परियोजना

1. कृषि की नई तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुँचाना।
2. कृषकों से संपर्क कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेना।
3. कृषकों की समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त कर कृषकों तक पहुँचाना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

अपर कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना

1. राज्य स्तर पर प्रसार कार्यक्रम के नियंत्री पदाधिकारी/प्रसार परियोनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण।
2. प्रसार परियोजना के कार्यान्वयन में कृषि निदेशक को परामर्श देना एवं उनके निदेश के आलोक में कार्यान्वयन करना।
3. कृषि की नई तकनीक के प्रसार हेतु योजना तैयार करना एवं कार्यान्वयन करना।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना (दो पद)

1. मुख्यालय स्तर पर अपर कृषि निदेशक (प्रसार) को सहयोग देना।
2. प्रशिक्षण एवं कर्मशाला आयोजन में सहयोग करना।
3. कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार कार्यों का सम्पादन कराना।
4. बिहार राज्य अन्तर्गत कृषि प्रसार कार्यों का निरीक्षण करना।

उप कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना। (चार पद)

1. मुख्यालय स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) एवं अपर कृषि निदेशक (प्रसार) के कार्यों में सहयोग करना।
2. राज्य में प्रसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।
3. प्रशिक्षण एवं कर्मशाला आयोजन में सहयोग करना।

सहायक कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना (एक पद)

1. उप कृषि निदेशक (प्रसार) के कार्यों में सहयोग देना।
2. अपर कृषि निदेशक (प्रसार) द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्यों का निष्पादन।

17. उपयोगी अनुसंधान योजना

1. मिट्टी की जाँच करना।
2. उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के किस्मों की अनुशंसा करना।
3. मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरक की मात्रा निर्धारित करना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना

1. उपयोगी अनुसंधान एवं क्षेत्र प्रयोग सेवा संबंधी राज्य के सभी योजनाओं एवं अधीनस्थों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना। सभी जिलों में कार्यरत मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं पर नियंत्रण रखना।
2. प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु सभी प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था करना।
3. प्रयोगशाला कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

उप कृषि निदेशक (शष्य), उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना

1. उपयोगी अनुसंधान एवं क्षेत्र प्रयोग सेवा के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र विशेष के फसलों के पैकेज प्रणाली का निर्माण एवं उसका प्रचार-प्रसार करना।
2. संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा दिये गये अन्य अनुदेशों का पालन करना।

उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी), उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना

1. उपयोगी अनुसंधान एवं क्षेत्र प्रयोग सेवा के द्वारा किए गए फसल प्रयोग का आंकड़ा प्राप्त कर विश्लेषण कर अग्रतर कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत करना।
2. संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा दिये गये अन्य अनुदेशों का पालन करना।

उप कृषि निदेशक (रसायन), उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना

1. क्षेत्र प्रयोग सेवा द्वारा प्राप्त विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र विशेष के लिए उर्वरक की मात्रा को निर्धारित करना।
2. संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अन्य अनुदेशों का पालन करना।

उप कृषि निदेशक (मिट्टी जाँच), उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना

1. क्षेत्र प्रयोग सेवा से संबंधित मिट्टी के नमूनों का जाँच संबंधी कार्यों एवं वर्तमान में पटना जिले से संबंधित सारे मिट्टी नमूनों की जाँच करना।
2. संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा दिये गये अन्य अनुदेशों का पालन करना।

सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी), उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना

1. उपयोगी एवं क्षेत्र प्रयोग सेवा के आंकड़े प्राप्त करना।
2. आंकड़ों को संकलित करना/विश्लेषण कर उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत करना।

18. पौधा संरक्षण योजना

1. विभिन्न फसलों पर लगने वाले कीट-व्याधियों की पहचान करना।
2. कीट-व्याधियों के रोकथाम एवं नियंत्रण की विधियों की जानकारी देना।
3. पौधा संरक्षण यंत्रों की जानकारी देना।
4. पौधा संरक्षण केन्द्रों के माध्यम से किसानों के फसलों पर छिड़काव/भुरकाव की व्यवस्था करना।
5. समेकित कीट प्रबंधन का प्रचार-प्रसार करना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना

1. कृषि निदेशक के अधीन राज्य स्तरीय विषेषज्ञ/पौधा संरक्षण कार्यों में सरकार के तकनीकी सलाहकार/राज्य में पौधा संरक्षण योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी। पौधा संरक्षण यंत्रों एवं कीटनाशी के वितरण को नियंत्रित करना।
2. संगरोध प्रमाण पत्र निर्गत प्राधिकार।

उप कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना

1. अपने कार्यक्षेत्र में पौधा संरक्षण योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व, प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक के तकनीकी सलाहकार, पौधा संरक्षण कर्मियों एवं कृषकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कृषकों के लिए प्रदर्शन का आयोजन करना।
2. संगरोध प्रमाण पत्र निर्गत प्राधिकार।

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी :

जिला स्तर पर पौधा संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी, जिला कृषि पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार, पौधा संरक्षण यंत्रों एवं कीटनाशी की आवश्यकता का आकलन।

19. कृषि अभियंत्रण

1. कृषि कार्य में यांत्रिकरण को बढ़ावा देना।
2. यंत्रों के उपयोग के संबंध में कृषकों को प्रशिक्षित करना।
3. नये कृषि यंत्रों का विकास करना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण)

1. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना का पद राज्य स्तरीय है और ये कृषि अभियंत्रण संभाग के वरीयतम पदाधिकारी होने के नाते कृषि निदेशक, बिहार के तकनीकी सलाहकार के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। विभागीय तकनीकी मामलों में कृषि निदेशक, बिहार को नीति निर्धारण एवं कृषि अभियंत्रण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सलाह/परामर्श देना।

2. राज्य स्तर पर कृषि अभियंत्रण से संबंधित सभी समस्याओं का निदान करना, विभिन्न उन्नत कृषि यंत्रों, सिंचाई उपकरणों तथा नवीनतम विकसित विभिन्न कृषि यंत्रों से सबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन।
3. राज्य के कृषकों को कृषि के नवीनतम तकनीक की जानकारी तथा विभिन्न कृषि यंत्रों की उपयोगिता प्रत्यक्षण, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना।
4. कृषि यांत्रिकरण संबंधी विभिन्न कार्यों का सुदृढ़ीकरण, प्रोत्साहन के साथ-साथ बड़े पैमान पर इनके प्रचार-प्रसार आदि कार्यों में सक्रिय योगदान देना।
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना कृषि अभियंत्रण संभाग के सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारियों/अराजपत्रित कर्मियों के नियंत्रण पदाधिकारी।
6. कृषि अभियंत्रण से संबंधित केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं के कृषि अभियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न योजनाओं की देख-रेख तथा उनके अनुश्रवण का दायित्व।
7. कृषि विभाग के कृषि अभियंत्रण से संबंधित सभी कार्यों के नियंत्री पदाधिकारी।
8. कृषि अभियंत्रण से संबंधित सभी प्रकार के क्रियाकलापों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व।
9. चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार।
10. कृषि यंत्रों के गुणवत्ता की जाँच का अधिकार।
11. निर्माताओं / विक्रेताओं / वितरक आदि को सूचीबद्ध करना।

20. माप-तौल संभाग

1. वाट-माप का मानकीकरण करना।
2. व्यापारियों का पंजीकरण करना।
3. वाट-माप निर्माता / विक्रेता एवं मरम्मतिकर्त्ता को अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक (माप तौल)

1. वाट माप मानक अधिनियम 1976/वाट माप मानक (प्रवर्त्तन) अधिनियम 1985 तथा संबंधित नियमावाली के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना।

21. कृषि शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना

1. प्रसार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना।
2. ग्राम प्रसार कार्यकर्त्ताओं के लिए पाठ्यक्रम संचालित करना।
3. पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना आदि।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (शिक्षा), बिहार, पटना

1. जनसेवकों की निर्धारित परीक्षा तथा परीक्षाफल के सम्पादन हेतु अध्यक्ष का चयन करवाना दायित्व है।
2. अप्रशिक्षित जनसेवक, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि डिप्लोमा का प्रशिक्षण दिलाना जो मुशहरी केन्द्र (मुजफ्फरपुर) में अवस्थित है।
3. दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा एवं कृषि स्नातकों का तीन माह का ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण का कार्य सम्पादन करवाना।
4. परीक्षाफल का प्रकाशन हेतु कृषि निदेशक, बिहार, पटना को भेजना।

22. गुण नियंत्रण प्रयोगशाला

1. उर्वरक एवं कीटनाशी विश्लेषण हेतु वर्ष 1981-82 में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
2. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (संशोधित 2008) की धारा 29 के आलोक में सभी तरह के उर्वरक का विश्लेषण कार्य।
3. कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी धारा 1971 के नियम 21 के आलोक में कीटनाशी विश्लेषण का कार्य।
4. उद्यान निदेशक के वैधानिक प्रयोजनार्थ संगरोध प्रमाणीकरण प्रयोगशाला।
5. उर्वरक से संबंधित राज्य के बाहर के रेफरी नमूनों की जाँच।

कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (गुण नियंत्रण)

1. विश्लेषण हेतु प्राप्त उर्वरक/ कीटनाशी नमूनों का पंजीकरण उपरान्त कोडिंग/ डिकोडिंग करना।
2. अंतिम फलाफल प्रतिवेदन पर हस्ताक्षरोपरांत संबंधित निरीक्षकों को भेजा जाना।
3. प्रयोगशाला के सफल संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों का आकलन एवं व्यवस्था करना।

सहायक कृषि निदेशक (गुण नियंत्रण) :

1. प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों का पंजीकरण करना।
2. कोडिंग हेतु पंजीकृत नमूनों को उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराना तथा कोडिंग उपरांत विश्लेषकों के बीच नमूनों का आवंटित किया जाना।
3. विश्लेषण फलाफल प्राप्त कर डिकोडिंग उपरांत वांछित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार करना एवं उप कृषि निदेशक स्तर से प्रतिवेदन हस्ताक्षरोपरांत संबंधित निरीक्षकों को प्रतिवेदन भेजवाया जाना।
4. आवश्यकतानुसार उप कृषि निदेशक द्वारा आवंटित नमूनों (उर्वरक / कीटनाशी) का विश्लेषण कार्य करना।
5. संगरोध प्रमाणीकरण हेतु वांछित जाँच कर प्रतिवेदन तैयार करना।

23. कम्पोस्ट खाद योजना

1. मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
2. ग्रामीण कम्पोस्ट के उत्पादन एवं वितरण का प्रबंध करना।
3. शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था करना।

योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (कम्पोस्ट)

1. राज्य में कम्पोस्ट विकास योजना का पर्यवेक्षण एवं कार्यरत कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण।
2. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण।

24. बीज विश्लेषण प्रयोगशाला

1. बीज प्रमाणन एजेन्सी (बीज अधिनियम 1966 के धारा 8 अन्तर्गत गठित) से प्राप्त प्रमाणन नमूने की जाँच।
2. घोषित बीज निरीक्षक (बीज अधिनियम 1966 के धारा 7 अन्तर्गत गठित) द्वारा प्राप्त आधिकारिक नमूने की निर्धारित क्षमता की जाँच।
3. कृषकों एव अन्य बीज उत्पादकों से प्राप्त सर्विस नमूने जो बोने आदि हेतु उपयोग किया जाता है की जाँच।
4. बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त 5 प्रतिशत रेफरी नमूनों की पुनः जाँच।
5. राज्य में कार्यरत बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए सभी संसाधनों/वांछित प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु कार्रवाई करना।

कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (बीज विश्लेषण)

1. बीज अधिनियम 1966 की धारा 12 में विहित प्रावधान के अनुरूप बीज विश्लेषक के रूप में अधिसूचित होने के नाते विभिन्न श्रोतों से प्राप्त नमूनों का जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-VII में निर्धारित अवधि में (नमूना प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर) उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला ढोली (मुजफ्फरपुर), सबौर (भागलपुर), सहरसा, पीपराकोठी (मोतिहारी), दरभंगा, कुदरा (कैमूर) के नियंत्री पदाधिकारी के रूप में कार्य करना।
3. राज्यस्तरीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

25. केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला

1. जिला स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगालाओं की कार्य दक्षता बनाये रखने के लिए चेक मिट्टी नमूनों का विश्लेषण कार्य।
2. जिला स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं के विश्लेषक/प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षण दिलवाना।
3. जिला मिट्टी परीक्षण केन्द्र में खराब पड़े यंत्रों का मरम्मति कार्य।
4. राज्य सरकार द्वारा चालित उपयोगी योजनाओं के मिट्टी जाँच सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

दायित्व :

1. केन्द्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जिला स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए सभी कार्यरत प्रयोगशाला से चेक नमूना (Check Sample) मंगाकर इसे सावधानी पूर्वक विश्लेषित करना एवं तुलनात्मक विवरणी तैयार कर संबंधित प्रयोगशाला को सूचित करना।
2. जिला स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से विश्लेषकों/प्रयोगशाला सहायकों का प्रशिक्षण सत्र तैयार कर विश्लेषण सम्बन्धि प्रशिक्षण दिलवाना।
3. जिला स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में खराब पड़े यंत्रों को ठीक करवाना। इसके लिए इलेक्ट्रीकल अभियंता का पद स्वीकृत है।
4. राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे उपयोगी योजनाओं के मिट्टी जाँच सम्बन्धी कार्य में सहयोग करना।

कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (के०मि०जा०प्र०)

1. राज्य के मिट्टियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच करना।
2. मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं के विश्लेषकों/प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षित करना।
3. राज्य सरकार द्वारा मिट्टी जाँच कार्यों सम्बन्धी चलाये जा रहे योजनाओं में सहयोग करना।

26. बीज निरीक्षण कार्यक्रम

1 राज्य में विभिन्न श्रोतों से विभिन्न मौसमों में विक्रय किये जाने वाले बीजों की गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूना संग्रह का कार्य।

2 राज्य स्तर पर उप कृषि निदेशक (बीज निरीक्षण) इसके प्रभारी पदाधिकारी हैं जिनका कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार है–

कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

उप कृषि निदेशक (बीज निरीक्षण)

1. खरीफ तथा रब्बी मौसम में अलग-अलग बीज नमूना संग्रह करना।
2. सभी बीज निरीक्षक एवं कार्यालय के कर्मियों के वेतनादि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य।
3. नमूना जाँच के फलाफल पर कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को अनुशंसा भेजना।

27. दियारा विकास परियोजना

1. टाल एवं दियारा क्षेत्र के विकास हेतु परियोजना तैयार कर कार्यान्वित करना।

कार्यरत पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व :

परियोजना पदाधिकारी

1. टाल एवं दियारा विकास परियोजना के अन्तर्गत् दियारा विकास के कार्यक्रम के कार्यान्वन के लिए नोडल पदाधिकारी।
2. दियारा विकास कार्यक्रम की परियोजना तैयार करना तथा क्रियान्वयन अनुदेश तैयार करना।